

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

—:ज्ञापन:—

क्रमांक / 13463 / अल्प बचत / 2017

जांजगीर, दिनांक 11.12.17,

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र

जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की जानकारी के संबंध में।

—00—

पत्रानुसार इस कार्यालय के अल्प बचत शाखा का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की जानकारी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया जिले की वेबसाईट में अपडेट करने का कष्ट करे।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

अधिर कलेक्टर

जांजगीर-चाम्पा

पृष्ठां. क्रमांक / 13464 / अल्प बचत / 2017

जांजगीर दिनांक 11.12.2017

प्रतिलिपि :-

प्रभारी अधिकारी सूचना के अधिकार शाखा जिला कार्यालय जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ।

अधिर कलेक्टर

जांजगीर-चाम्पा

## कार्यालय कलेक्टर (अल्प बचत) जॉजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनूआल की जानकारी**

क्रमांक	मैनूआल	जानकारी
01	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	प्रभारी अधिकारी - श्री एस0एन0अहिरवार (अपर कलेक्टर) अल्प बचत शाखा द्वारा जिला जॉजगीर-चाम्पा में संस्थागत वित्त कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही किया जाता है।
02	शक्तिया एवं कर्तव्य	वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना। डाकघर अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना। प्रत्येक 03 वर्षों में एजेंसी का नवीनीकरण करना। जन शिकायत निवारण। प्रतिवेदन प्रेषण। जिले में संचालित फर्जी चिटफंड कंपनी के संचालन में रोक लगाना एवं आवश्यक कार्यवाही करना। समय समय पर शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
03	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेश प्राप्त होने पर शाखा द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जाती है।  कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।
04	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	जिला स्तर पर चिटफंड कम्पनीयों से आम जनता को बचाने हेतु अल्प बचत के आर0डी0 खाता एवं एस0ए0एस0 का व्यापक प्रचार करना। जिला जॉजगीर चाम्पा में संचालित फर्जी चिटफंड कंपनी के संचालन में रोक लगाना एवं आवश्यक कार्यवाही किया गया। जिले में शासन के निर्देशानुसार अल्प बचत को बढ़ावा देने हेतु जारी पत्रानुसार डाक घर अभिकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। आर0डी0 खाता के कुल 113 एजेंट एवं एस0ए0एस0 के 58 अभिकर्ता एवं संयुक्त के 50 अभिकर्ताओं को एजेंसी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा अभिकर्ताओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में डाकघर में 59,81,042,98.00 रुपये जमा करवाया गया है।
05	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारी द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक	राज्य शासन द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेश प्राप्त होने पर शाखा द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

	I, और अमिलेख						
06	ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित या नियंत्राधीन है प्रवर्गों का विवरण	शाखा द्वारा संबंधित नस्तीयां संधारित है एवं आदेशों के पालन करने के संबंध में प्रस्तुत नस्तीयों को शाखा लिपिक द्वारा संधारित एवं रखरखाव किया जाता है ।					
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उनके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ।	निरंक					
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण की क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है ।	नहीं					
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका ।	क्र	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम			
		1	डॉ.एस.भारतीदास	कलेक्टर			
		2	श्री एस.एन.अहिरवार	अपर कलेक्टर			
		3	श्री उज्जवल तिवारी	सहा.ग्रेड-3			
		4	श्री संतोष विश्वकर्मा भृत्य				
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक परिश्रमिक ।	क्र	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	महंगाई व अन्य भत्ता	
		1.	डॉ.एस.भारतीदास	कलेक्टर		शासन के आदेशानुसार	
		2.	श्री एस.एन. अहिरवार	अपर कलेक्टर		शासन के आदेशानुसार	
		3.	श्री उज्जवल तिवारी	सहा. ग्रेड-3	21719.00	शासन के आदेशानुसार	

		4	श्री संतोष विश्वकर्मा	भृत्य	32104.00	शासन के आदेशानुसार
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधि रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	निरंक				
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा।	निरंक				
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकत्ताओं का विवरण।	निरंक				
14	अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्योरा।	नहीं				
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्योरे भी सम्मिलित हो।	कलेक्टर कार्यालय जांजगीर के जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क अदा करने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।				
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	क्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम		
		1.	श्री डी.के.सिंह अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा	श्री.एस.अहिरवार अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा		
17	अन्य जानकारियां।	जिला कार्यालय अल्प बचत शाखा द्वारा फर्जी चिटफंड कंपनी की संपत्ती कुर्की हेतु कार्यवाही की जा रही है। संपत्ती कुर्क कर निवेशको को निवेश किये धन लौटाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।				

अपर कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा